

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2012 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18853

=====

रवीन्द्र नाथ शुक्ला, पुत्र- स्वर्गीय राजकिशोर शुक्ला, निवासी/गांव-चैनपुर, पी. ओ. दामोदरपुर,  
थाना- पताही, जिला-मुजफ्फरपुर

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक।
2. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, एच. ओ.- कलामबाग रोड, मुजफ्फरपुर।
3. महाप्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, एच. ओ.- कलामबाग रोड, मुजफ्फरपुर।
4. वरिष्ठ प्रबंधक प्रतिष्ठान उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, एच. ओ.- कलामबाग रोड, मुजफ्फरपुर।
5. अनुशासनात्मक प्राधिकरण उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, एच. ओ.- कलामबाग रोड, मुजफ्फरपुर।

.....प्रतिवादी/ओं

=====

**उपस्थिति:**

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री शशि भूषण कुमार मंगलम, अधिवक्ता  
प्रतिवादी बैंक के अधिवक्ता : श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता  
: श्री अमितेश झा, अधिवक्ता

=====

दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995— याचिकाकर्ता हाइपोमेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर (द्विध्रुवी विकार) का रोगी था—मानसिक अस्पताल ने वर्ष 1999 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी किया—याचिकाकर्ता ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया था; और मानसिक स्वास्थ्य और द्विध्रुवी विकार हाइपो-उन्माद हमले के बावजूद, याचिकाकर्ता को सजा का आदेश दिया गया था—अनुशासनात्मक कार्यवाही भेदभावपूर्ण है और विकलांगता अधिनियम, 2016 के अधिकार के सिद्धांतों का उल्लंघन है—धारा 47— याचिकाकर्ता के खिलाफ पहली अनुशासनात्मक कार्यवाही वर्ष 1997 में शुरू की गई थी; दूसरा, वर्ष 2011 में—धारा 47 विकलांग कर्मचारियों को विकलांगता के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई से बचाती है—आक्षेपित आदेशों को अपास्त और अभिखंडित कर दिया गया—रिट याचिका को निर्देश के साथ आवेदन का निपटान किया गया।

**(पैरा 12, 13, 14, 16 और 19)**

(2021) 15 एस.सी.सी. 125; (2023) 2 एस.सी.सी. 209; (2003) 4 एस.सी.सी. 524; (2001) 8 एस.सी.सी. 397—निर्भर किया गया

## पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरनेन्दु सिंह**

**मौखिक निर्णय**

**तिथि:- 14-05-2024**

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शशि भूषण कुमार मंगलम और प्रत्यर्थी की ओर से श्री अमितेश झा के साथ श्री प्रभाकर झा को सुना गया।

2. यह न्यायालय रिट याचिका या जवाबी हलफनामे में की गई दलीलों पर अमल नहीं करता है। याचिकाकर्ता मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जिसे चिकित्सीय शब्दों में द्विध्रुवी विकार हाइपो-मैनिया के रूप में पाया गया था। याचिकाकर्ता का इलाज मानसिक अस्पताल, कांके में किया गया था और फिटनेस प्रमाण पत्र 30.06.1999 को जारी किया गया था, जिसमें विवरण दिया गया था कि याचिकाकर्ता को उसकी मानसिक स्थिति की जांच और उपचार के लिए 14.06.1999 को भर्ती कराया गया था। याचिकाकर्ता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, जिसे चिकित्सा अधीक्षक, आर. आई. एन. पी. ए. एस. द्वारा अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए पाया गया था, जिन्होंने प्रमाण पत्र संख्या सी83 दिनांकित 30.06.1999 द्वारा उस हद तक प्रमाणित किया था। उक्त तथ्य पर मुकदमे के पहले दौर में विचार किया गया था, जो इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 1787/2004 में पारित दिनांक 26.11.2010 के अंतिम आदेश द्वारा समाप्त हो गया था। उक्त आदेश में, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की पूरी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा है और निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं:

"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे वर्तमान में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (जिसे इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित किया गया है) के रूप में नामित किया गया है, के वकील को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने संबंधित समय में बैंक की शाखाओं में से एक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य किया। यह अध्यक्ष सह अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 25.2.2003 अनुलग्नक-19 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत जवाबी हलफनामे के दिनांकित 3.6.2002 के आरोप पत्र अनुलग्नक-ए, के अनुसार उनकी पांच वेतन वृद्धि को रोक दिया गया है। वह दिनांक 31.12.2003 के आदेश अनुलग्नक 21 से भी व्यथित हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 25.2.2003 के दंड आदेश के खिलाफ दायर अपील को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांकित 31.12.2003 पत्र के तहत सूचित किया गया है। दिनांक 3.6.2002. अनुलग्नक-ए के आरोप पत्र के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता पर 26.2.1997 से 27.10.2001 के बीच विभिन्न अवसरों पर अनुशासनहीनता के विभिन्न कृत्य करने का आरोप है। आरोप-पत्र में घटनाओं का विवरण दिया गया है।

3. पूछताछ अधिकारी ने बैंक के अधिकारियों द्वारा दिनांकित 30.11.2002, अनुलग्नक 17 की रिपोर्ट के तहत की गई शिकायतों, सामग्री प्रदर्शन संख्या 4 से 43 तक के संदर्भ में आरोपों की जांच की और आरोप संख्या 1, 3 और 4 साबित पाई गई। और आरोप संख्या 2 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। इस संबंध में, उन्होंने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों, मेसर्स बी. पी. सिंह, एस. एन. सिंह और ए. के. झा के बयान पर भी विचार किया। याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों और जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों पर इस आधार पर विवाद किया कि 26.2.1997 से 27.10.2001 के बीच की अवधि के दौरान वह गंभीर मानसिक तनाव में था जिससे वह पागल हो गया था और उक्त तथ्य बैंक के अधिकारियों को भी पता था। याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति की सराहना में उसे उपचार के लिए मानसिक अस्पताल भी भेजा गया और उपचार

6.10.1997 से 30.6.1999 के बीच की अवधि के लिए जारी रहा और याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अनुशासनहीनता के कृत्य मानसिक तनाव और विकार के कारण हैं, जिसके लिए उसका इलाज मानसिक अस्पताल, कांके, रांची में किया गया था, जब उसे मानसिक बीमारी से पीड़ित होने का पता चला था, बैंक के महाप्रबंधक द्वारा मेडिकल बोर्ड को दिए गए संदर्भ के अनुसार दिनांक 6.10.1997, अनुलग्नक-3 के तहत, जहां से उसे चिकित्सा अधीक्षक, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्रिक्स संबद्ध विज्ञान, कांके दिनांकित 30.6.1999 अनुलग्नक 8 के प्रमाण पत्र के तहत द्वारा छुट्टी दे दी गई थी। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मेरा ध्यान याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 10.9.2001, अनुलग्नक-12 द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र की और भी आकर्षित किया है जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि त्याग पत्र परस्तुत करने का कार्य भी मानसिक तनाव में किया गया था। 4. यह अदालत याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति के बारे में प्रस्तुत करने की शुद्धता या अन्यथा जाने के बिना, इस रिट याचिका का निपटारा कर रही है, जिसमें याचिकाकर्ता को उस अवधि के दौरान उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बैंक के सक्षम प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जिस अवधि में उस पर अनुशासनहीनता के कार्य करने का आरोप है और यदि बैंक के अधिकारी संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता मानसिक तनाव और विकार से पीड़ित था, जिससे वह पागलपन की ओर ले जा रहा था, तो अधिकारी याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड को वापस लेने के लिए उचित आदेश पारित कर सकते हैं। इस आदेश के आलोक में उपयुक्त आदेश बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा, किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले, जो जनवरी, 2012 में होने वाली है, जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए।"

3. आदेश को रिट याचिका के अनुलग्नक-19 के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है। यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि दिनांकित आरोप-पत्र 1997 से 2001 की अवधि से संबंधित है, यह स्वीकार किया जाता है कि जिस अवधि के दौरान

याचिकाकर्ता 2012 के से पीड़ित था। मानसिक विकार से पीड़ित होने के कारण उन्हें 14.06.1999 को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद, उन्हें अपनी दवाओं को जारी रखने की सलाह के साथ अपनी ड्यूटी में शामिल होने के लिए उपयुक्त पाया गया। अभिवचनों के साथ-साथ अभिलेखों से यह पता नहीं चलता है कि क्या किसी भी समय अपने कार्यालय को फिर से शुरू करने के लिए उपयुक्त पाए जाने के बाद, जैसा कि दिनांकित प्रमाण पत्र 30.06.1999 से पता चलता है, प्रत्यर्थियों ने शिकायत की थी कि याचिकाकर्ता ने कुछ अस्वस्थ मानसिक व्यवहार दिखाया और याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य से अनजान होने के कारण, 03.06.2012 को एक चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांकित 16.11.2010 आदेश की भावना के खिलाफ है। प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति पर विचार किए बिना 01.10.2011 पर फिर से आरोप पत्र जारी करके याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है और याचिकाकर्ता की मानसिक बीमारी और उसकी पिछली रिपोर्टों को देखते हुए उसे प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए भेजने पर विचार नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता अपनी मानसिक पीड़ा को समझाने की स्थिति में नहीं है, और न ही इस बात पर कोई विचार किया गया है कि मामले के इस पहलू को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा ध्यान में रखा गया था।

4. यह न्यायालय किसी भी हालिया चिकित्सा रिपोर्ट या दिनांकित 30.06.1999 रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य रिपोर्ट के अभाव में याचिकाकर्ता की मानसिक बीमारी के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आर. आई. एन. पी. ए. एस., कांके, रांची के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त 30.06.1999 प्रमाण पत्र से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो मानसिक बीमारी विशेष रूप से द्विधरुवी विकार हाइपो-मैनिया से पीड़ित है अगर दवा लेना जारी रखता है, तो वह सामान्य जीवन जी सकता है।

5. दुनिया भर के चिकित्सा शोधकर्ताओं ने पाया है कि "हाइपोमेनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप एक पुनर्जीवित ऊर्जा या गतिविधि स्तर, मनोदशा या व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नया "ऊर्जावान आप" दूसरों द्वारा आपके सामान्य स्व से परे के रूप में पहचाना जाता है। हाइपोमेनिया उन्माद का एक कम गंभीर रूप है, और दोनों आमतौर पर द्विध्रुवी विकार का हिस्सा हैं। उपचारों में मनोचिकित्सा, दवा और आत्म-देखभाल रणनीतियाँ शामिल हैं।

6. द्विध्रुवी विकार एक मनोदशा विकार है जो तीव्र मनोदशा परिवर्तन का कारण बन सकता है। "कभी-कभी आप अत्यधिक "उत्तेजित", उत्साहित, चिड़चिड़े या ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। इसे एक उन्मादी प्रकरण कहा जाता है। अन्य समय में आप "निराश", उदास, उदासीन या निराश महसूस कर सकते हैं। इसे अवसादग्रस्तता प्रकरण कहा जाता है। आपको उन्माद और अवसाद दोनों के लक्षण एक साथ हो सकते हैं। इसे मिश्रित प्रकरण कहा जाता है। मनोदशा में बदलाव के साथ, द्विध्रुवी विकार व्यवहार, ऊर्जा के स्तर और गतिविधि के स्तर में परिवर्तन का कारण बनता है। द्विध्रुवी विकार को अन्य नामों से भी जाना जाता था, जिसमें उन्मादी अवसाद और उन्मादी अवसाद विकार शामिल हैं।

7. तीन मुख्य प्रकार के द्विध्रुवी विकार हैं, जो इस प्रकार हैं:

(1) **द्विध्रुवी प्रथम विकार** में उन्मादी प्रकरण शामिल होते हैं जो कम से कम 7 दिनों तक चलते हैं या उन्मादी लक्षण इतने गंभीर होते हैं कि रोगियों को तत्काल अस्पताल की देखभाल की आवश्यकता होती है। अवसादग्रस्तता के प्रकरण भी आम हैं। वे

अक्सर कम से कम दो सप्ताह तक चलते हैं। इस प्रकार के द्विध्रुवी विकार में मिश्रित प्रकरण भी शामिल हो सकते हैं।

(ii) **द्विध्रुवी द्वितीय विकार** में अवसाद प्रकरण शामिल है। लेकिन पूर्ण विकसित उन्मादी प्रकरणों के बजाय, हाइपोमेनिया के प्रकरण हैं। हाइपोमेनिया उन्माद का एक कम गंभीर रूप है।

(iii) **साइक्लोथाइमिक विकार** या साइक्लोथाइमिया, भी इसमें हाइपोमैनिक और अवसादग्रस्तता के लक्षण शामिल हैं। लेकिन वे हाइपोमैनिक या अवसादग्रस्तता प्रकरणों की तरह तीव्र या लंबे समय तक चलने वाले नहीं हैं। लक्षण आमतौर पर वयस्कों में कम से कम दो साल और बच्चों और किशोरों में एक साल तक रहते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के साथ, एक वर्ष में उन्माद या अवसाद के चार या अधिक प्रकरण होने को "रैपिड साइकिलिंग" कहा जाता है।

8. द्विध्रुवी विकार का सटीक कारण अज्ञात है। कई कारक संभवतः विकार में एक भूमिका निभाते हैं। इनमें आनुवंशिकी, मस्तिष्क संरचना और कार्य और आपका पर्यावरण शामिल हैं। एक उन्मादी घटना के लक्षणों में बहुत अधिक महसूस करना शामिल हो सकता है, ऊँचा, या प्रफुल्लित; सामान्य से अधिक सक्रिय, उछल-कूद महसूस करना; बहुत कम गुस्सा होना या बेहद चिड़चिड़ा लगना; दौड़ने वाले विचार रखना और बहुत तेजी से बात करना; कम नींद की आवश्यकता; ऐसा महसूस करना कि आप असामान्य रूप से महत्वपूर्ण, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली हैं; जोखिम भरी चीजें करें जो खराब निर्णय दिखाती हैं, जैसे कि बहुत अधिक खाना-पीना और बहुत अधिक पैसा खर्च करना या देना, या लापरवाही से यौन संबंध बनाना।

9. अवसादग्रस्तता प्रकरण के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं, "बहुत दुखी, निराश या बेकार महसूस करना; अकेला महसूस करना या दूसरों से खुद को अलग करना; बहुत धीरे-धीरे बात करना, ऐसा महसूस करना कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, या बहुत कुछ भूल जाना; कम ऊर्जा होना, बहुत अधिक सोना; बहुत अधिक या बहुत कम खाना; अपनी सामान्य गतिविधियों में रुचि की कमी और साधारण चीजें भी करने में असमर्थ होना और मृत्यु या आत्महत्या के बारे में सोचना।

10. एक मिश्रित प्रकरण के लक्षणों में उन्मादी और अवसादग्रस्तता दोनों लक्षण एक साथ शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, रोगी बहुत दुखी, खाली या निराश महसूस कर सकते हैं, जबकि एक ही समय में बेहद ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

11. उपचार कई लोगों की मदद कर सकता है, जिनमें द्विध्रुवी विकार के सबसे गंभीर रूप भी शामिल हैं। द्विध्रुवी विकार के मुख्य उपचारों में दवाएं, मनोचिकित्सा या दोनों शामिल हैं। दवाएँ द्विध्रुवी विकार के लक्षण को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। रोगियों को यह पता लगाने के लिए कई अलग-अलग दवाओं को आजमाने की आवश्यकता हो सकती है कि कौन सी उनके लिए सबसे अच्छी है। कुछ लोगों को एक से अधिक दवाएँ लेने की आवश्यकता होती है। लगातार दवा लेना महत्वपूर्ण है। रोगियों को पहले अपने प्रदाता से बात किए बिना इसे लेना बंद नहीं करना चाहिए। यदि रोगियों को दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में कोई चिंता है तो प्रदाता से संपर्क करें। मनोचिकित्सा (टॉक थेरेपी) रोगियों को परेशान करने वाली भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने में मदद कर सकती है। यह रोगियों और उनके परिवार को सहायता, शिक्षा, कौशल और मुकाबला करने की रणनीतियाँ दे सकता है। कई अलग-अलग प्रकार की मनोचिकित्सा हैं जो द्विध्रुवी विकार में मदद कर सकती हैं। अन्य उपचार विकल्पों में शामिल हैं:

"इलेक्ट्रोक्वॉलिसिस थेरेपी (ई. सी. टी.), एक मस्तिष्क उत्तेजना प्रक्रिया है जो लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकती है। यह एक हल्के विद्युत प्रवाह का उपयोग करता है और तब किया जाता है जब रोगी सामान्य संज्ञाहरण के तहत होते हैं। ई. सी. टी. का उपयोग अक्सर गंभीर द्विध्रुवी विकार के लिए किया जाता है जो अन्य उपचारों के साथ बेहतर नहीं हो रहा है। इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब किसी को ऐसे उपचार की आवश्यकता हो जो दवाओं की तुलना में अधिक तेजी से काम करे। यह तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति को आत्महत्या का उच्च जोखिम हो या वह कैटाटोनिक (अनुत्तरदायी) हो; रिपेटिटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन (आर. टी. एम. एस.), एक मस्तिष्क उत्तेजना प्रक्रिया है जो अवसाद को दूर करने के लिए चुंबकीय तरंगों का उपयोग करती है। यह ई. सी. टी. जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन आर.टी.एम.एस. के साथ, रोगियों को सामान्य संज्ञाहरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्मृति और सोच पर नकारात्मक प्रभाव का कम जोखिम भी रखता है; हल्की चिकित्सा मौसमी प्रभावी विकार (एसएडी) के लिए प्रभावी साबित हुई है। द्विध्रुवी विकार वाले कई लोग यह भी पाते हैं कि उनका अवसाद कुछ मौसमों के दौरान बदतर हो जाता है, आमतौर पर शरद ऋतु और सर्दियों में। हल्की चिकित्सा उनके लक्षणों में मदद कर सकती है और स्वस्थ जीवन शैली में परिवर्तन, जैसे कि नियमित व्यायाम करना, लगातार नींद लेना और मनोदशा पत्रिका रखना, आपके लक्षणों में भी मदद कर सकते हैं। द्विध्रुवी विकार एक आजीवन बीमारी है। लेकिन दीर्घकालिक, निरंतर उपचार रोगी के लक्षणों को प्रबंधित करने और उन्हें एक स्वस्थ, सफल जीवन जीने में सक्षम बनाने में मदद कर सकता है।

12. मान लीजिए, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अपना कर्तव्य फिर से शुरू कर दिया था और उसके अस्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य और द्विध्रुवी विकार हाइपो-मैनिया

हमले के कारण अनियमित मानसिक व्यवहार का पता लगाने के बावजूद, उसे सजा का आदेश दिया गया था। मैं पाता हूँ कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने सबसे पहले इस कारण से अवैधता की है कि उन्होंने 26.11.2010 को 2004 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1787 में पारित आदेश में निहित इस न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया है और दूसरा, यह दिखाने के लिए कोई निष्कर्ष या रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दूसरी विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए आगे बढ़े हैं। याचिकाकर्ता को सामान्य स्थिति में पाए जाने और कोई अनियमित व्यवहार नहीं दिखाने के कारण, पूरी तरह से अलग-अलग आरोप, जैसा कि मेमो संख्या 582 दिनांकित 01.10.2011 से दिखाई देंगे। याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति पर विचार न करने के बावजूद कि याचिकाकर्ता मानसिक विकार द्विध्रुवी हाइपोमेनिया से पीड़ित है, आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार विभागीय रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी।

13. *रविंद्र कुमार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय धारीवाल और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2023) 2 उच्चतम न्यायालय के मामलों 209 में* रिपोर्ट किए गए, जिनका सामना करना पड़ा इसी तरह की स्थिति, जहां मानसिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति को अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन किया गया था, ने माना है कि कार्यवाही भेदभावपूर्ण और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (इसके बाद "आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के सिद्धांत का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद संख्या 148.2 और अनुच्छेद संख्या 149 में निम्नलिखित निर्णय दिया है।

*रवींद्र कुमार धारीवाल (उपरोक्त)*

148.2. किसी व्यक्ति की मानसिक अक्षमता उस दुराचार का एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हुई। मानसिक अक्षमता वाले व्यक्तियों का अपने आचरण पर कोई भी अवशिष्ट नियंत्रण केवल उस सीमा को कम करता है जिस तक अक्षमता ने आचरण में योगदान दिया। कार्यस्थल मानक में उनके सक्षम समकक्षों की तुलना मानसिक अक्षमता व्यक्तियों की पालन करने की क्षमता को बाधित करती है। ऐसे व्यक्तियों को हानि के कारण असमान लाभ होता है और उनके अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन होने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत अप्रत्यक्ष भेदभाव का एक पहलू है।

149. पहली जाँच से संबंधित अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम की धारा 20 (4) के संरक्षण का भी हकदार है यदि वह अपने वर्तमान रोजगार कर्तव्य के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है। अपीलार्थी को एक वैकल्पिक पद पर फिर से नियुक्त करते समय, यदि यह आवश्यक हो जाता है, तो उसके वेतन, परिलब्धियों और सेवा की शर्तों की रक्षा की जानी चाहिए। अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि एक वैकल्पिक पद के लिए असाइनमेंट में आग्नेयास्त्रों या उपकरणों का उपयोग या नियंत्रण शामिल नहीं है जो अपीलार्थी या कार्यस्थल में या उसके आसपास अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।"

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है। वर्तमान मामले के तथ्य भी **रविंदर कुमार धारीवाल (उपरोक्त)** के समान हैं, इस हद तक कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1997 में पहला आरोप ज्ञापन दिया गया था और याचिकाकर्ता के मामले में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान पर विचार किए बिना, विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिए एक विशेष कानून है। यह एक विशेष अधिनियम होने के कारण, सामान्य विशेषज्ञता गैर अपमानजनक का सिद्धांत लागू होगा,

इसलिए, सेवा शर्त नियम अधिनियम की धारा 47 को रद्द नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अधिनियम की धारा 72 भी याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करती है। उक्त स्पष्टीकरण द्वारा निर्धारित किया गया है *कुणाल सिंह बनाम भारत संघ और एक अन्य* के मामले में *सर्वोच्च न्यायालय ने (2003) सर्वोच्च न्यायालय के 4 मामलों, 524* और इस संबंध में अनुच्छेद संख्या 11 उक्त निर्णय को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*"11. हमें अपीलार्थी को सी. सी. एस. पेंशन नियमों के नियम 38 के अनुसार अयोग्यता पेंशन प्राप्त करने के संबंध में एक और पहलू पर ध्यान देना होगा। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिए एक विशेष कानून है। यह एक विशेष अधिनियम होने के कारण, सामान्य विशेषज्ञता गैर अपमानजनक का सिद्धांत लागू होगा। इसलिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों का नियम 38 अधिनियम की धारा 47 को ओवरराइड नहीं कर सकता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 72 भी अपीलार्थी के मामले का समर्थन करती है, जिसमें कहा गया है:*

*"72. अधिनियम किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। - इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी नियम, आदेश या उसके तहत जारी किए गए किसी निर्देश, जो विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए अधिनियमित या जारी किए गए हैं, के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे।"*

15. जैसा कि मैंने देखा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहली अनुशासनात्मक कार्यवाही वर्ष 1997 में शुरू की गई थी, दूसरा वर्ष 2011 में और रिट याचिका वर्ष 2012 से लंबित है, सवाल यह उठता है कि क्या आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1995 की

धारा 47 को देखते हुए याचिकाकर्ता का मामला आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 के प्रभाव में आने के बाद प्रभावी हो सकता है और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को देखते हुए, याचिकाकर्ता का मामला पुराने अधिनियम द्वारा निर्देशित होगा ?

16. सर्वोच्च न्यायालय ने **रविंदर कुमार धारीवाल (उपरोक्त)** के मामले में पैराग्राफ नं. 18 से 32 में बदलते कानूनी स्वरूप और न्याय की निरंतर खोज में उक्त मामले के तथ्यों पर चर्चा करते हुए, पैराग्राफ नं. 22, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 47 में कहा गया है कि सरकारी प्रतिष्ठान में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, जो सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है, उसे (i) नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा; (ii) पद में कमी; या (iii) पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 47 विकलांग कर्मचारियों को अक्षमता के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई से बचाती है। सर्वोच्च न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि व्याख्या का सामान्य नियम यह है कि एक नए अधिनियमित कानून का संभावित अनुप्रयोग होता है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 इस नियम के लिए एक अपवाद प्रदान करती है, जहां एक लंबित कानूनी कार्यवाही या जांच पुराने अधिनियम द्वारा निर्देशित की जाएगी, यदि कोई हो, तो अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व 'निरस्त कानून के तहत पक्षों को अर्जित किया गया है। उक्त स्थिति में, वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने **मैसर्स अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम मेसर्स अमृत लाल एंड कंपनी एवं अन्य**, (2001) 8 एस. सी. सी. 397 में सूचित किया गया, के मामले में निर्धारित कानून पर भरोसा किया है। **रविंदर कुमार धारीवाल (उपरोक्त)** के पैराग्राफ नं. 23 से 24 इस संबंध में किया गया अवलोकन प्रासंगिक होगा, जो इसके बाद पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"23. अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृत लाल एंड कंपनी (अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम. अमृत लाल एंड कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 397] में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के तहत गठित किराया नियंत्रक न्यायालय या साधारण दीवानी अदालत के पास किरायेदार के खिलाफ मकान मालिक द्वारा शुरू की गई बेदखली की कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के आवेदन से 3500 रुपये से अधिक मासिक आय वाले किरायेदारों को बाहर करने के लिए धारा 3 में संशोधन किया गया था। उस मामले में, मासिक किराया 8625 रुपये था। मकान मालिक द्वारा धारा 3 के संशोधन से पहले 1985 में बेदखली याचिका दायर की गई थी। जबकि याचिका लंबित थी, धारा 3 में संशोधन किया गया, जिसने ऐसे किरायेदारों को अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि संशोधन को ध्यान में रखते हुए, बेदखली की कार्यवाही पर केवल साधारण दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र होगा न कि किराया नियंत्रक का। किरायेदार ने तर्क दिया कि चूंकि संशोधन लागू होने से पहले किरायेदार के पास अधिनियम के तहत कोई निहित अधिकार नहीं था, इसलिए किराया नियंत्रक के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। मकान मालिक ने तर्क दिया कि भले ही किरायेदार के पास कोई निहित अधिकार न हो, लेकिन मकान मालिक के पास एक निहित अधिकार है, और जी. सी. ए. की धारा 6 को देखते हुए, लंबित कार्यवाही पूर्व-संशोधित किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी रखी जानी चाहिए। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किरायेदार को अधिनियम के तहत कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि मकान मालिक के पास दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के तहत अर्जित "अधिकार" नहीं है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 किरायेदार को बेदखली के खिलाफ एक सामान्य सुरक्षात्मक अधिकार प्रदान करती है।

धारा 14 के परंतुक में विशिष्ट आधारों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके आधार पर किरायेदार को बेदखल किया जा सकता है।

24. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि धारा 14 किरायेदार को प्रदत्त एक सुरक्षात्मक अधिकार है, इसलिए इसे मकान मालिक को अधिकार प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इस संदर्भ में यह देखा गया: (अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज मामले [अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृत लाल एंड कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 397], एस. सी. सी. पी. 409, पैरा 22)

"22. ...जिस अधिकार का निहित अधिकार के रूप में अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, वह केवल इसके प्रावधान के तहत है। प्रावधान मुख्य खंड को बड़ा नहीं कर सकता है। जब मुख्य धारा केवल किरायेदार का एक सुरक्षात्मक अधिकार है, तो इसके परंतुक के विभिन्न खंडों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह एक मकान मालिक को एक निहित अधिकार देता है। अधिकार, यदि मकान मालिक के बारे में बिल्कुल भी कहा जा सकता है, तो केवल सुरक्षात्मक किरायेदार की छत्रछाया के नीचे बहता है जिसे मकान मालिक के निहित अधिकार में विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, यह देखा गया कि धारा 14 मकान मालिक को एक "विशेषाधिकार प्रदान करती है, और यदि विशेषाधिकार जी. सी. ए. की धारा 6 के तहत आवश्यक रूप से अर्जित या अर्जित किया गया है, तो किराया नियंत्रक कार्यवाही तय करने के लिए अधिकार क्षेत्र बनाए रखेगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि बेदखली याचिका दायर करने पर, जी. सी. ए. की धारा 6 (सी) को देखते हुए मकान मालिक को प्राप्त विशेषाधिकार और लंबित कार्यवाही को बचा लिया गया।

17. उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष 2004 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.1787 दायर किया था, हालांकि, उन्होंने यह समझौता कानूनी प्रस्ताव नहीं लिया था कि आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम की धारा 47 को ध्यान में रखते हुए जिसका सिविल सेवा आचरण नियमों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। याचिकाकर्ता, जो द्विध्रुवी मानसिक विकार से पीड़ित है और उसे बैंक के सी. सी. ए. नियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, के संबंध में कोई सचेत बयान या जानकारी नहीं है, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रभाव के लिए दिनांक 26.11.2010 का आदेश पारित करते समय कोई विचार नहीं किया गया था।

18. आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम की धारा 2 (एच) के प्रावधानों से निपटने वाले सर्वोच्च न्यायालय, जो भेदभाव को परिभाषित करता है, ने **रविंदर कुमार धारीवाल (उपरोक्त)** पैराग्राफ नं. 56 में निम्नानुसार माना है:

"56. आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो। आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम की धारा 2 (एच) "भेदभाव" को निम्नानुसार परिभाषित करती है।

2. (एच) अक्षमता के संबंध में "भेदभाव" का अर्थ है अक्षमता के आधार पर कोई भी भेद, बहिष्कार, प्रतिबंध जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की दूसरों के साथ समान आधार पर मान्यता, आनंद या अभ्यास को बाधित करने या रद्द करने का उद्देश्य या प्रभाव है और इसमें सभी प्रकार के भेदभाव और उचित समायोजन से इनकार शामिल है।

19. मानसिक अक्षमता और भेदभाव को उक्त निर्णय को पैराग्राफ नं. 59 में पर चर्चा की गई है। शीर्ष न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा कि कलंक और भेदभाव से बचने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले व्यक्ति बड़ी मेहनत से अपनी बीमारियों को सहकर्मियों और प्रबंधकों से छिपाने का प्रयास करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के प्रकटीकरण के साथ सहकर्मियों द्वारा पदच्युत किए जाने, नौकरी से निकाले जाने या परेशान किए जाने की संभावना होती है। नतीजतन, मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले व्यक्ति खुद को कार्यस्थल सहायता और प्रभावी उपचार से वंचित कर देते हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने पैराग्राफ नं. 81 में मानसिक स्वास्थ्य विकार और सामाजिक भेदभाव के कलंक पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़े थे। और भारत सी. आर. पी. डी. का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, जो संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, सभी विकलांग व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और सुनिश्चित करने का इरादा रखता है। पैराग्राफ सं. 84 से 90 तक, में सी. आर. पी. डी. के प्रावधानों पर ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः पैराग्राफ नं. 91 इस चर्चा का विस्तार आवास, शिक्षा, समर्थन और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों तक करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामला ऐसा ही एक अवसर है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही व्यक्ति विकलांगता के खिलाफ भेदभाव का गठन कर सकती है, रोजगार भेदभाव के खिलाफ मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति के अधिकार के संबंध में धारा 47 लागू होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में विभिन्न देशों के अधिनियम पर विस्तार से चर्चा करने के बाद उक्त निर्णय में अंततः विश्लेषण किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग,

जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और अप्रत्यक्ष भेदभाव, जैसा कि *नितिशा बनाम भारत संघ (2021) 15 एस. सी. सी. 125*, के मामले में मान्यता दी गई है, जिस मामले में, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अक्षमता अधिकार शासन को रोकने वाली मूल समानता की अवधारणा ने माना कि उक्त मामले के अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भेदभावपूर्ण है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

20. इसी तरह मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूं कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष द्वारा पारित दिनांक 25.07.2012 का विवादित आदेश और निदेशक मंडल द्वारा पारित अपीलीय आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार उन्हें अलग कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।

21. मुझे लगता है कि जो बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के अधिदेश के अनुसार राज्य के अर्थ में आता है, नियोक्ता होने के नाते उसे अपने अनुशासनात्मक अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि और सी. आर. पी. डी. के प्रावधान और इस संबंध में कानून के संबंध में जागरूक करना चाहिए, जिससे आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1995 का अधिनियमन होता है, जैसा कि संशोधित किया गया है और आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 द्वारा इसके निरसन के बाद वर्तमान याचिकाकर्ता के रूप में मानसिक बीमारी से पीड़ित कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाई नहीं की जानी चाहिए, बल्कि कर्मचारी के अनियमित व्यवहार की सूचना देने के बाद समय-समय पर विशेष उपचार प्रदान करके सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे पहले याचिकाकर्ता की राज्य या देश के किसी भी सुपर-स्पेशियलिटी

अस्पताल द्वारा मानसिक जांच कराने पर विचार करें और याचिकाकर्ता को पर्याप्त सहायता प्रदान करें, भले ही वह आज की तारीख में सेवानिवृत्त हो गया हो।

22. याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका, गलत धारणा होने के कारण, इस न्यायालय ने रिट याचिका या जवाबी हलफनामे में की गई अभिवचन पर विचार नहीं किया है।

23. उपरोक्त अवलोकन और दिशा के साथ, रिट याचिका का निष्पादन किया जाता है।

(पूर्णन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।